International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में ग्रामीण विकास की योजनाएं : एक अध्ययन पीएमएवाई- जी एवं डीडीयू- जीकेवाई के विशेष संदर्भ में

करिश्मा[1], डॉ. ममता भदोला जोशी[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड)
[2]सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड)

सारांश

देश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना अति आवश्यक है | ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्तर में सुधार की प्रक्रिया से है | इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस शोध पत्र में भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की गई है | इस अध्ययन में विभिन्न सरकारी वेबसाइटस और सरकार की रिपोर्टों से लिए गए द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है | द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण कर यह ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक निर्माण के लिए 19609298 आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से वर्ष 2023-24 तक 16971980 आवास निर्मित किये जा चुके हैं | जो स्वीकृत आवासों की संख्या का 86.55 प्रतिशत है | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक कुल 6416663 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और कुल 4012454 प्रशिक्षार्थी नियुक्त किये गये | अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण(पीएमएवाई- जी) और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) ने भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है |

शब्द कुंजी – ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वितीयक आंकडें, प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण(पीएमएवाई- जी) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई)

परिचय

भारत की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में से 83.3 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है | इस प्रकार से भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवासरत है | ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों को वह सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती जो शहरी क्षेत्र वालों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास सुविधा, कौशल विकास और अन्य मूलभूत सुविधाएं | इसलिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं | गरीबी के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को न केवल शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, बल्कि भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक रूप से भी वे कमजोर पड़ जाते हैं | ग्रामीण भारत में कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधियों में से एक है और भारत की लगभग दो- तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है परन्तु वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की भागीदारी घटती जा रही है | ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गांवों में निवासरत लोगों की गरीबी को दूर करना, पलायन को कम करना, बाल श्रम पर रोक लगाना तथा गांवों को आत्मनिर्भर बनाना आदि रहा है | इसलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत व्यक्तियों हेतु सुविधा जिनसे वे वंचित है प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया गया ताकि व्यक्तियों का विकास किया जाये तथा उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके | भारत में ग्रामीण विकास भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है | भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में व्याप्त गरीबी के लिए कार्य करने वाली शीर्ष इकाई है | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्रामीण विकास हेतु अनेक विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है | भारत सरकार द्वारा की गयी इस अभिनव पहल के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु स्वरोजगार, रोजगार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संपर्कता आदि के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं |

1. **उद्देश्य** – इस अध्ययन का पहला उद्देश्य भारत में ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन करना है और दूसरा उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई- जी) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू-जीकेवाई) योजनाओं के विकास को प्रस्तुत करना है |
2. **अध्ययन का क्षेत्र** – भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु अनेकों योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही है परन्तु शोधार्थी द्वारा केवल दो योजनाओं को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई- जी) आवास निर्माण हेतु एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीणों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अध्ययन के लिए सीमित किया गया है |
3. **शोध विधि** - शोध अध्ययन हेतु वर्णानात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया है | अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु द्वितीयक आंकड़ो का उपयोग किया गया है | द्वितीयक आंकड़ों को प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं में शोधपत्रों , विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट व वार्षिक विभागीय रिपोर्टों से एकत्रित किया है |

4. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई- जी)** – स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रमों का आरम्भ किया गया | जनवरी 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवास कार्यक्रम आरम्भ किया गया यद्यपि इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है परन्तु इसके संचालन के साथ ही कुछ कमियां जैसे मकान की खराब गुणवत्ता, लाभार्थियों को ऋण न मिलना, तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, तालमेल का अभाव और निगरानी की कमजोर प्रणाली इस कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामो पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी | इंदिरा आवास योजना में व्याप्त कमियों के कारण, इन कमियों को दूर करने हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के आवास के निर्माण के लिए सहायता प्रदान हेतु इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया था |

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई- जी) की मुख्य विशेषताएं –

1. आवास निर्माण हेतु जगह को 20 वर्ग मीटर (इंदिरा आवास योजना) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है जिसमे स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है |
2. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण सहायता हेतु 70000 रूपये की धनराशि दी जाती थी जिसे अब बढाकर 1.20 लाख रूपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों में 75000 रूपये से बढाकर 1.30 लाख रूपये कर दिया गया है |
3. केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच आवास निर्माण हेतु सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर तथा पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों (जम्मू कश्मीर , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 90:10 के आधार पर किया जाता है |
4. आवास निर्माण हेतु सहायता लागत के साथ स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण व मनरेगा के साथ तालमेल द्वारा किसी समर्पित अन्य स्रोत से शौचालय निर्माण के सहायता लागत 12000 रूपये का प्रावधान है |
5. ग्राम सभा द्वारा ग्रामीणों का निर्धारण या चयन, मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना(SECC) 2011, के आंकड़ों में दर्शाए गये अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के आधार पर किया जाता है |
6. यदि लाभार्थी को आवास निर्माण में और धन की आवश्यकता हो तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं में 70000 रूपये तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध करने में सहायता की जाती है | (https://ukrdd.uk.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/PMAYG-Guidelines-Hindi.pdf)

सारणी 1- (वित्तीय प्रगति वर्ष 2019-20 से 2023-2024 तक)

वित्तीय वर्ष	राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी कुल धनराशि(धनराशि करोड़ में)
2019-20	**28860.74**
2020-21	**37902.31**
2021-22	**26792.88**
2022-23	**42004.79**
2023-24	**19814.45**

स्रोत :- https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx

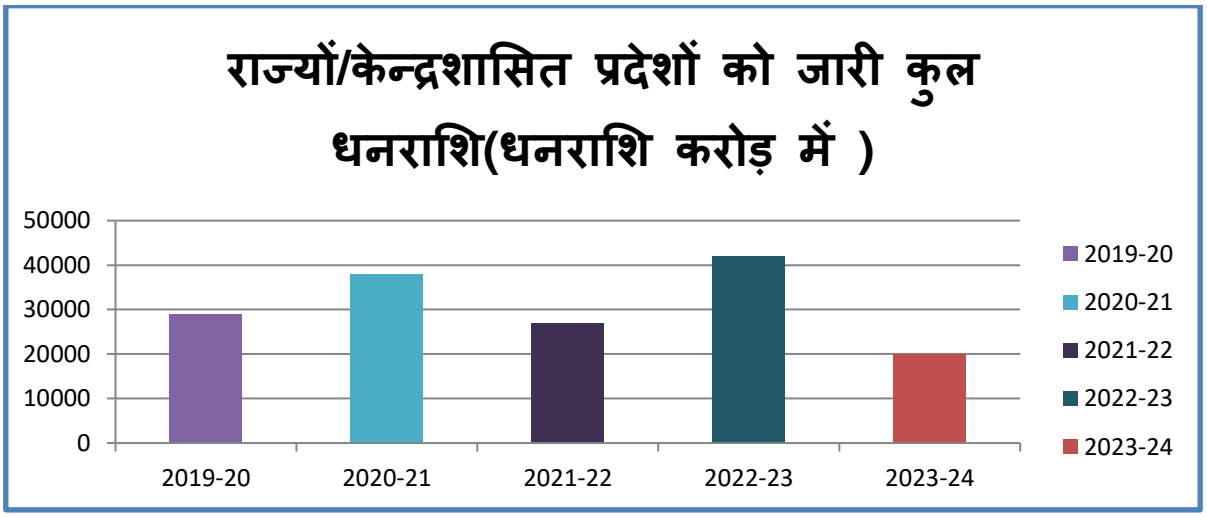

सारणी 2:- (भौतिक प्रगति वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक)

वर्ष	लक्षित आवास	स्वीकृत आवास	पूर्णत: निर्मित आवास
2019-20	**5637323**	**5628237**	**5446977**
2020-21	**4155100**	**4150757**	**3993282**
2021-22	**6671608**	**6655607**	**5853201**
2022-23	**2322621**	**2319848**	**1123448**
2023-24	**863581**	**854849**	**555072**

स्रोत:- **https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx**

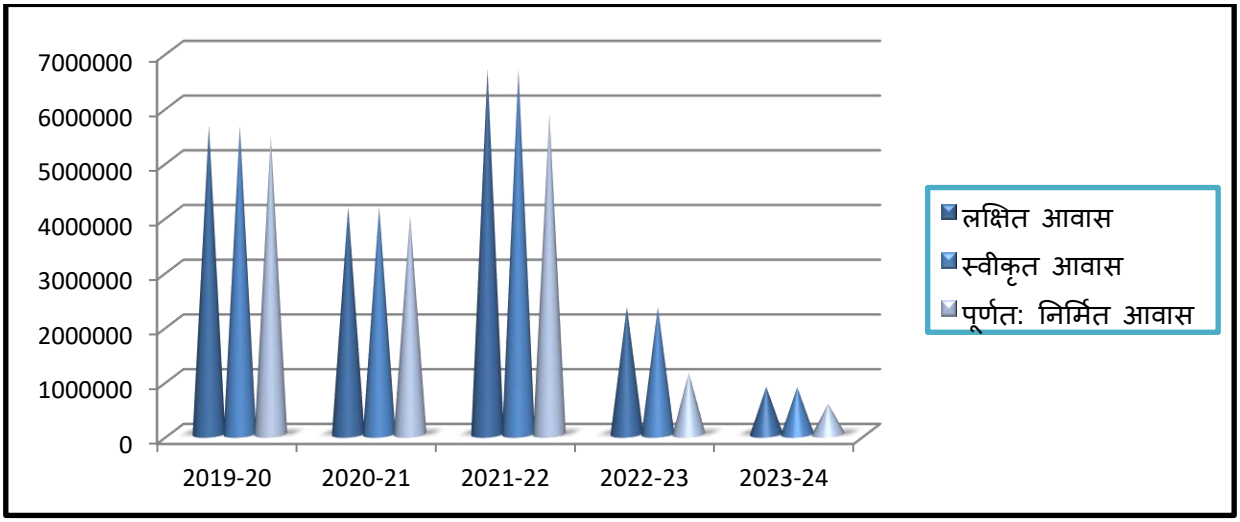

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में 28860.74 करोड़ रूपये की तुलना में 2022-23 में 42004.79 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, जो लगभग डेढ़गुना बढ़ी है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है परन्तु 2022-23 में 42004.79 करोड़ रूपये की तुलना में 2023-24 में 19814.45 करोड़ रूपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की गयी जो यह दर्शाता है वर्ष 2023-24 में आवास हेतु स्वीकृत आवासों की संख्या अन्य वर्षों की तुलना में कम होने के कारण सरकार द्वारा उस सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अन्य वर्षों की तुलना में कम धनराशि जारी की गयी | 2019-20 में निर्माण हेतु लक्षित आवासों की संख्या 5637323 की तुलना में 5446977 आवासों का निर्माण किया गया जो योजना के अंतर्गत लक्षित आवासों की संख्या का लगभग 96.73 प्रतिशत है और अन्य वर्षों की तुलना में 2019-20 में सबसे अधिक लक्षित आवासों का निर्माण किया गया और वर्ष 2022-23 में योजना के अंतर्गत लक्षित आवासों की संख्या 2322621 की तुलना में कुल 1123448 आवासों का निर्माण किया गया जो अन्य वर्षों की तुलना में काफी कम एवं उस वर्ष के लक्षित आवासों की संख्या का मात्र 48 प्रतिशत था | 2023-24 में योजना के अंतर्गत लक्षित आवासों की संख्या 863581 की तुलना में 555072 आवासों का निर्माण किया गया जो लक्ष्य का 64 प्रतिशत तथा 2019-20 की अपेक्षा थोड़ा कम था परन्तु क्रमशः वर्ष 2020-21 में लक्षित आवासों का 96.10 प्रतिशत आवासों का निर्माण, 2021-22 में योजना के अंतर्गत काफी संख्या में (87.73 प्रतिशत)लक्षित आवासों को निर्मित किया गया, जो यह दर्शाता है कि पर्याप्त संख्या में आवासों का निर्माण किया जा रहा है और गांवों में निवासरत लोग अपने कच्चे आवास को पक्के आवासों में परिवर्तित कर सकते हैं | इसका आशय यह है कि यह योजना ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करता है, जिससे उनके अपने जीवन स्तर में सुधार होता है |

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्लेसमेंट आधारित कौशल पहल है, जो ग्रामीण निर्धन युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने हेतु अधिक ध्यान देने के कारण अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य एक अद्वितीय स्थान रखती है | ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 सितम्बर, 2014 अन्त्योदय दिवस को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) की घोषणा की गयी | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की आजीविका सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूर्ण करना है | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई)विशेष रूप से निर्धन परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं पर केन्द्रित है | देश की 18 से 34 वर्ष की आयु के बीच की 180 मिलियन से अधिक या 69 प्रतिशत युवा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं | वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) पूरे देश में लागू है | यह योजना 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में संचालित की जा रही है | स्किल इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में यह योजना मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्ट- अप इंडिया ,स्टैंड-अप इंडिया अभियानों जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है | वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 5489

प्रशिक्षण केंद्र, 3547 परियोजनाएं, 84 से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहीं हैं जिसमें से 650 से अधिक जॉब रोल या व्यापार सम्मिलित हैं | डीडीयू- जीकेवाई 650 से अधिक व्यापार क्षेत्रों जैसे आतिथ्य, खुदरा, स्वास्थ्य, निर्माण उद्योग, मोटर वाहन, चमडा, विद्युत, पाइपलाइन, रत्न और आभूषण आदि को अनुदान प्रदान करता है परन्तु अनिवार्यता यह है कि कौशल प्रशिक्षण मांग आधारित होने चाहिए और कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार मिलना चाहिए |

डीडीयू- जीकेवाई के उद्देश्य –

1. नियमित वेतन प्रदान करने वाले रोजगार के माध्यम से गरीब परिवारों को पारिश्रमिक और टिकाऊ रोजगार तक पहुँच प्रदान करके निर्धनता को कम करना |
2. ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाना |
3. ग्रामीण युवाओं की पेशेवर आकांक्षाओं को पूर्ण करना | (ग्रामीण विकास, 2016)

सारणी 1- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक डीडीयू- जीकेवाई की संचयी प्रगति

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित उम्मीदवार	मूल्यांकित उम्मीदवार	नियुक्त उम्मीदवार
2019-20	1062308	931958	642093
2020-21	1100597	988910	691656
2021-22	1197603	1138266	737268
2022-23	1428521	1316245	893933
2023-24	1627634	1511017	1047504

स्रोत :- **https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/ddugky.aspx**

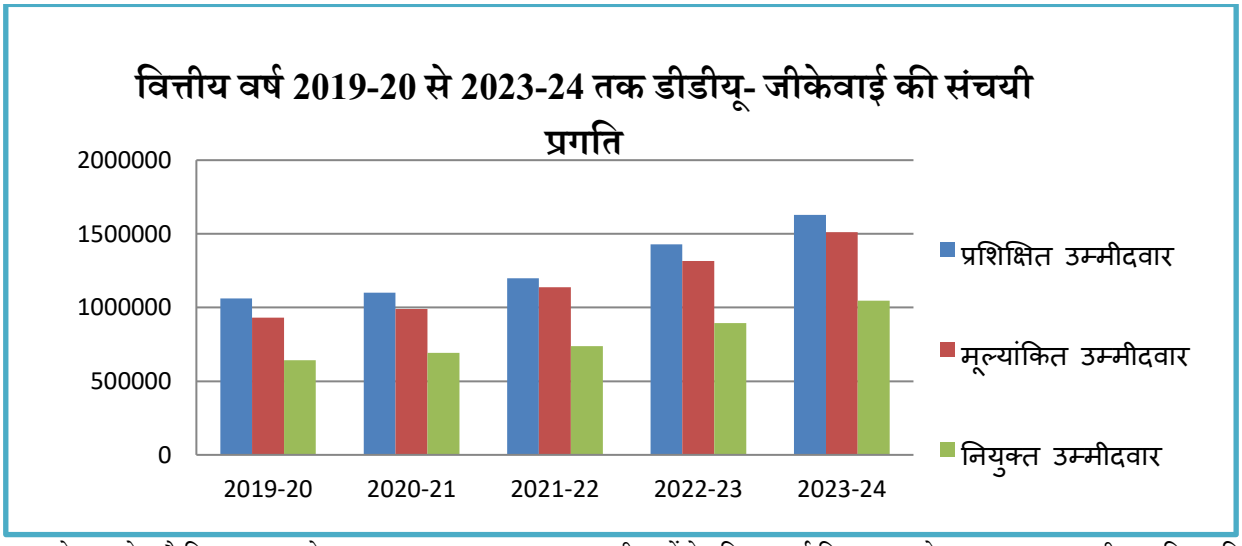

उपरोक्त ग्राफ से ज्ञात होता है कि 2019-20 से 2023-24 तक कुल 6416663 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, परन्तु केवल 4012454 उम्मीदवार नियुक्त किये गये अतः कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कुल 63 प्रतिशत उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया | इससे यह पता चलता है कि कुल नियुक्त किये उम्मीदवारों का प्रतिशत पर्याप्त है परन्तु बहुत अधिक नहीं है | इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) व इस योजना के माध्यम से नियुक्त किये गये प्रशिक्षुओं के प्रति लोगो की रूचि कम होती जा रही है जो चिंता का विषय है |

निष्कर्ष एवं सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सभी गरीबों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं के साथ आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण प्रारम्भ की गयी थी तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई), जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्लेसमेंट आधारित कौशल पहल है, ग्रामीण निर्धन युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने हेतु 25 सितम्बर, 2014 को घोषित की गयी थी | भारत का ग्रामीण विकास मुख्य रूप से इन दो योजनाओं से प्रेरित है | क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) ने भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है | प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण ग्रामीण गरीबों हेतु आवास प्रदान करती है और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) गरीबी को कम करने के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व पलायन को कम करने में सहायता

प्रदान करती है | इस अध्ययन में पिछले कुछ वर्षों की तुलना की गयी है, और परिणाम सकारात्मक वृद्धि दिखाते हैं | ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के समक्ष आने वाली मुख्य समस्याएं आवास, परिवहन और रोजगार थी | प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के अंतर्गत, 2019-20 से 2023-24 तक में निर्माण के लिए 19609298 आवास स्वीकृत किये गये है और 16971980 आवास निर्मित किये गये, जिसमे से वित्तीय वर्ष 2019-20 (5628237 और 5446977) में स्वीकृत और पूर्ण किये गये आवासों की संख्या अधिकतम है | निश्चित ही योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के आर्थिक एवं जीवन स्तर में सकारात्मक परिणाम लक्षित किये जा रहे हैं , जो ग्रामीण नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अच्छी खबर है | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) विशेष रूप से युवाओं में कौशल जागृत करने हेतु आरम्भ की गयी है जो रोजगार में सहायता प्रदान करती है | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना(डीडीयू- जीकेवाई) के अंतर्गत 2019-20 से 2023-24 तक कुल 6416663 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और कुल 4012454 उम्मीदवार नियुक्त किये गये | प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग हेतु अधिक लोग आते हैं परन्तु प्रशिक्षुओं की नियुक्ति बहुत कम होती है | इसलिए भारत में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता की और अधिक आवश्यकता है |

संदर्भ सूची :-

Journal Papers:

1. Kumar, D., Narwal, S., & Phougat, S. (2021). A review of rural development schemes in India. Asian Journal of Sociological Research, 336-344
2. Pandey, H., & Agarwal, V. K. (2022). A study on development schemes of rural India. International Journal of Engineering and Management Research, 12(3), 205-211
3. Rao, P. S. (2019). Rural development schemes in India–A study. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(1), 1072-1076
4. Verma, V., & Chauhan, P. S. AN EFFECTIVE ASSESSMENT OF DEEN DAYAL UPADHYAY GRAMEEN KAUSHALYA YOJANA (DDU-GKY) IN PROVIDING SKILL TRAINING PROGRAMME FOR YOUTH: A STUDY OF HARYANA STATE. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 1, 227

Web References:

1. https://rural.gov.in/en/services/kaushal-panjee-ddu-gky
2. https://kaushalbharat.gov.in
3. https://rhreporting.nic.in/netiay/homereports/HomeYearWiseDistDataReport.aspx?type=4
4. https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/YearWsHsCompSchemePhaseWise_InterimRpt.aspx
5. http://ddugky.gov.in/
6. https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx
7. https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/ddugky.aspx
8. https://www.india.gov.in/spotlight/deen-dayal-upadhyaya-grameen-kaushalya-yojana
9. https://rural.gov.in/sites/default/files/Scheme%20wise%20Achievement%20of%20DoRD%20for%20the%20last%205%20years.pdf